श्री एन. के. यादव

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 981/2017 — हनुमान सहाय / शान्ति देवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | न[illegible] व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए<br>28 |
|---|---|---|
| 14/12/17 | अभिभावक पक्षकार उपस्थित।<br>[illegible] हो जाने। R.A.A.<br>म[illegible] / अन्य<br>प्रशा[illegible] अवकाश<br>होने के [illegible] निर्देशानुसार<br>दिनांक 15/12/17 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर) | |
| 15.12.17 | पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। केवियटकर्ता को जारी रजि. एडी नोटिस एक माह से अधिक समय उपरान्त भी तामील होकर अथवा बगैर तामील लौटकर नहीं आये हैं। इनकी तामील मानी जाती है। आवाज लगवाई गई। देखा। केवियटकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। अधिवक्ता अपीलांट को एकतरफा प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18.12.17 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर) | |
| 18/12/17 | पत्रावली वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया कि इन्ही पक्षकारो के मध्य उक्त विवादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में प्रकरण संख्या 171/2006 उनवानी रामसहाय बनाम हनुमान सिविल न्यायालय कनिष्ठ खण्ड पश्चिम जयपुर महानगर जयपुर द्वारा दिनांक 28/8/2008 को खारिज कर दिया गया एवं उक्त वाद के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी दिनांक 15/3/2007 को खारिज करना दिया गया था जो आदेशात उच्च न्यायालय द्वारा भी उनके समक्ष प्रस्तुत होने पर निस्तारित कर दिये गये। इसके अतिरिक्त तथ्यों को छुपाते हुवे अधीनस्थ न्यायालय से अन्य प्रकरण मे आदेश पारित करवा लिया गया जिसके विरुद्ध न्यायालय [illegible] | |

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 481/2017 हनुमानसहाय / कान्तिदेवी<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>225 | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22/9/17 निरस्त किये जाने का आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया। लेकिन रेस्पोडेन्टस द्वारा उक्त तथ्यो को छिपाकर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि मुतनाजिया आराजीयात मौके पर कई वर्षो से कृषि भूमि ही नही रही है मात्र अपीलार्थी को परेशान करने की नियत से ही अपीलाधीन आदेश पारित करवाया गया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धांतो के विपरित होने से निरस्त किया जावे।<br><br>हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण की इस स्टेज पर अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो से प्रथमदृष्टया सन्तुष्ट होकर आदेश जेर अपील दिनांक 31.10.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एक माह की अवधि में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली मे अब कोई कार्यवाही शेष नही रहने से पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>[signature] | |